



2026:AHC:36457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5634/2026

मोरवती

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अंकित कुमार, श्रवण कुमार पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पांडेय, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 129 के तहत एक आवेदन प्रतिवादी संख्या 3, उप-जिलाधिकारी, तहसील गुन्नौर और जिला संभल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय ने उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
2. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील गुन्नौर और जिला संभल हैं और वे इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
3. मामले के इस स्वरूप को देखते हुए और न्याय के हित में, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील गुन्नौर और जिला संभल के समक्ष उत्तर प्रदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राजस्व संहिता, 2006 की धारा 129 के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जाती है।

यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो उसके तीन महीने की अवधि के भीतर उनके द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”